क आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष से पूर्व दिनांक 27/2/2020 को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी जा चुकी है व आज पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई है। प्रार्थी वकील के द्वारा मौखिक बहस में अपनी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी रिकॉर्डेड काश्तकार है। एवं वादग्रस्त आराजी को उभयपक्षों के द्वारा आज दिनांक तक केवल मौके पर से ही उपयोग उपभोग में लिया जा रहा है एवं काबिज काश्त किया जा रहा न की रिकॉर्डेड विभाजन करवाकर कब्जा काश्त किया जा रहा है। अतः अप्रार्थीगण ~~संख्या~~ को ता फैसला मूलवाद तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। वकील प्रार्थी के द्वारा अपनी बहस के समर्थन में R.B.J 1998 Page 435 Board of Revenue R.B.J 1998 Page 285 Board of Revenue एवं R.B.J 1998 Page 381 Board of Revenue कानूनी नजीरें पेश कि। अप्रार्थी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड काश्तकार नहीं है। और ना ही खातेदार है। व अप्रार्थी संख्या	

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		4 का मकान पूर्व में ही निर्माणाधीन था व पूर्व में मकान बना हुआ था। 4 को प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों के द्वारा किये गये बटवारे के अनुसार अपनी-अपनी भूमियों पर काबिज काश्त है। तो भूमि का अविभाजन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है अतः प्रार्थी का दावा खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 4 ने अपनी बहस के समर्थन में 1984 R.R.D 712 (LADNEE. BRANCH) 1991 R.R.D 410 2016-17 RRT 655, 1991 R.R.D 325 न्यायिक दृष्टान्तों की फोटो प्रति पेश की। न्यायालय हाजा के द्वारा उभयपक्ष वकुलाय की बहस का मनन किया गया साथ ही पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त अवलोकन पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होने पर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 5/3/2020 को खुले न्यायालय एवं सरेइजलास सुनाया गया (हस्ताक्षर) उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बस्सी जिला-जयपुर